<u>संख्या- 20/2026/I/1281818/2026/001-16 1002 18 2025</u>

प्रेषक,

बाबू राम वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक-** 27-03-2026

विषय:- उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर परिसर में मल्टीपरपज हॉल (इनडोर स्टेडियम) के निर्माण संबंधी परियोजना की टेण्डर कास्ट पर पुनरीक्षित लागत का प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन एवं पूंजी मद में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2819 दिनांक-17-03-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र /गुणवत्ता प्रमाण पत्र/प्रगति आख्या/फार्म-जे एवं टेण्डर वैल्यू से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य संगत अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या संख्या-01/2026/1199497/2026/001-16-1002/18/2025, दिनांक 08.01.2026 द्वारा उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर परिसर में मल्टीपरपज हॉल (इनडोर स्टेडियम) के निर्माण संबंधी प्रायोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन (धनराशि रू0 498.45 लाख) के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना की मूल्यांकित लागत रू० 489.00 लाख (रू० चार करोड नवासी लाख मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–47 एवं अनुदान संख्या-83 के सुसंगत लेखा शीर्षक से परियोजना हेतु रू0 धनराशि रू० 51.00 लाख (रू० इक्यावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/01-2-60/10-2023-17(04)/75, दिनांक-17-05-2023 में वर्णित व्यवस्था के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आलोक में उ०प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर परिसर में मल्टीपरपज हॉल (इनडोर स्टेडियम) निर्माण संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रुपये 489.00 लाख (रू० चार करोड नवासी लाख मात्र) (जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष परियोजना की निविदा में प्राप्त मूल्य रुपये **437.52 लाख** की (टेण्डर कॉस्ट) पर पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के साथ वितीय 2025-26 में पूंजी मद में अन्य परियोजनाओं हेतु आवंटित बजट में से बचत की धनराशि **उक्त परियोजना** हेतु अनुदान संख्या-47 एवं 83 (पूंजी मद) के संगत लेखाशीर्ष में (संलग्न बी०एम०-9 (पुनर्विनियोग आदेश संख्या: RE-budget-1-710-E-11-625-X-2025-26-दिनांक: 26-03-2026 के अनुसार) एवं (संलग्न बी०एम०-9 (पुनर्विनियोग आदेश संख्या- संख्या: RE-budget-1-711-E-11-624-X-2025-26-दिनांक: 26-03-2026 के अनुसार)) अतिरिक्त धनराशि रू0 1,24,00,000 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनयोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।

(5) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) पुनर्विनयोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०/ आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(7) पुनर्विनयोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(8) प्रश्नगत पुनर्विनयोग की धनराशि उसी कार्य/मद में व्यय किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(9) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुनर्विनयोग से उ०प्र० बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) पुनर्विनयोग की जा रही धनराशि की बजट उपलब्धता की जिम्मेदारी निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशक संस्थान की होगी।

(11) शासनादेश संख्या- शासन के पत्र संख्या संख्या-01/2026/1199497/2026/001-16-1002/18/2025, दिनांक 08.01.2026 उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा ।

(12) वित्त विभाग के सभी संगत नियमों का पालन किया जायेगा ।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 047 लेखा शीर्षक 4202021050900 उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4202027892000 उ0प्र0 प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बाबू राम वर्मा),
अनु सचिव ।

shasanadesh

<u>संख्या- 20/2026/I/1281818/2026/16 1002 18 2025, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) जिलाधिकारी, कानपुर ।

(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर ।

(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(6) निदेशक/वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर ।

(7) प्रबंध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) ।

(8) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, उ0प्र0 शासन ।

(9) परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) ।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन ।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
(12) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
(13) समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन ।
(14) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(बाबू राम वर्मा),
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A016-20252026-16 1002 18 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में आवंटित बजट (अनुदान संख्या-47) में से बचत की धनराशि को उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर मे मल्टीपरपज हाल के नवीन निर्माण कार्य को पूंजीमद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
047	4202021050300 (सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेंस इन ए.आई. फार एजूकेशन)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	0 शून्य	2025-2026
कुल					₹ 1,00,00,000	₹ 1,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
047	4202021050900 (उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 1,00,00,000	₹ 1,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
(1) स्तम्भ-5 में उपलब्ध बचत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।
(2) स्तम्भ-13 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-14 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-710-E-11-625-X-2025-26-दिनांक: 26-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज ।

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

सुनील कुमार सरोज
अनु सचिव

संख्या : I/1281822/2026/16-1002/18/2025 दिनांक- 27-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट अलॉटमेंट सिस्टसम, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6. वित्त (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-11(तीन प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 कानपुर ।

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
<u>A016-20252026-16 1002 18 2025 1</u>

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में आवंटित बजट (अनुदान संख्या-83) में से बचत की धनराशि को उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर मे मल्टीपरपज हाल के नवीन निर्माण कार्य को पूंजीमद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4202027890400 (इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	76,00,000 रुपये छिहत्तर लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 24,00,000	₹ 24,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4202027892000 (उ0प्र0 प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 24,00,000	₹ 24,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-5 में उपलब्ध बचत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।

(2) स्तम्भ-13 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-14 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

<u>संख्या: RE-budget-1-711-E-11-624-X-2025-26-दिनांक: 26-03-2026</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज ।

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

सुनील कुमार सरोज
अनु सचिव

<u>संख्या : I/1281823/2026/16-1002/18/2025 दिनांक- 27-03-2026</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट अलॉटमेंट सिस्टसम, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6. वित्त (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-11(तीन प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 कानपुर ।

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।